The Madhya Pradesh Avyaparik Nigam (Nirsan) Adhiniyam, 1998

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 12 सन् 1998

मध्यप्रदेश अव्यापारिक निगम(निरसन)अधिनियम 1998

(दिनांक 6 मई,1998 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई : अनुमति राजपत्र(असाधारण)में दिनांक 10 जून,1998 को प्रथम बार प्रकाशित की गई)

मध्यप्रदेश अव्यापारिक निगम अधिनियम,1962 को निरसित किये जाने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान—मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप मे यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —

———————————————

1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अव्यापारिक निगम (निरसन) अधिनियम,1998 है.

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जैसी कि राज्य सरकार,अधिसूचना द्वारा,नियत करे

परिभाषाएं –

——————————

2 इस अधिनियम में,जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क)नियत दिन से अभिप्रेत है धारा 1 की उपधारा(2)के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख .

(ख)निगम से अभिप्रेत है निरसित अधिनियम के अधीन विरचित किया गयातथा रजिस्ट्रीकृत किया गया अव्यापारिक निगम.

(ग)निरसित अधिनियम से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश अव्यापारिक निगम अधिनियम1962(क्रमांक 20 सन्1962)

निरसन तथा व्यावृत्ति –

——————————————

3 (1)मध्यप्रदेश अव्यापारिक निगम अधिनियम ,1962 (क्रमांक20सन्1962)नियत दिन को निरसत हो जाएगा और निरसित अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए गए नियमों के संबंध में यह समझाा जाएगा कि वे मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1973(क्रमांक44सन्1973)के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए गए है.

(2)नियत दिन के अव्यवहित पूर्व लंबित कोई ऐसी कार्यवाहियां जिनमें कि नियम का रजिस्ट्रार एक पक्षकार था उसी प्रकार चालू रहेंगी मानो कि निगम केरजिस्ट्रार के स्थान पर मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973के अधीन रजिस्ट्रार उसका पक्षकार था

\- भोपालदिनांक 10 जून 1998

क्रमांक 6152–इक्कीस–अ(प्रा)–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड(3)के अनुसरण में मध्यप्रदेश अव्यापारिक निगम(निरसन) अधिनियम 1998 (क्रमांक12 सन्1998)का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतत द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार,

टी.पी.एस.पिल्लई,अतिरिक्त सचिव